50

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं0 सं0 15/डी0 एल0 ए0 नीति–06/03–1292/रा0, दिनांक–05–06–07

अधिसूचना

भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (यथा समय–समय पर संशोधित) की धारा 55 की उप धारा–(1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ (उक्त अधिनियम के भाग–(vii) के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन को छोड़कर) निम्नलिखित नियमावली बनाती है, जिसका प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा– 55 की उपधारा– (2) के अधीन एतद् द्वारा किया जाता है :–

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम बिस्तार एवं आरम्भ :–

(i) यह नियमावली बिहार भू–अर्जन नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की शक्ति :–

(i) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन भूमि अर्जन के लिए अधिनियम की धारा– 11 के अधीन :–

(क) जिला समाहर्त्ता 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये तक प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा।
(ख) प्रमंडलीय आयुक्त –50.00 लाख (पचास लाख) रूपये से अधिक किन्तु 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख) रूपये तक प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा।
(ii) 1.50 करोड़ (एक करोड़, पचास लाख) रूपये से अधिक प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के लियें राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) सभी वर्ग के भू–अर्जन मामलों में अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य प्रति एकड़ 20.00 लाख (बीस लाख) रूपये तक समाहर्त्ता द्वारा एवं 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये तक प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। भूमि का मूल्य प्रति एकड़ 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये से अधिक होने पर राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

परन्तु कंडिका– (iii) में उल्लिखित,दर की स्वीकृति के लिए भू–अर्जन अधिनियम 1894 की धारा– 4 एवं 6 का प्रस्ताव प्रेषण की तिथि के पूर्व निबंधन विभाग के द्वारा मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु निर्धारित मूल्य की तुलना कर भू–अर्जन प्रस्ताव में उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी अर्जनाधीन क्षेत्र में भूमि की दर में अचानक एवं अप्रत्याशित वृद्धि होती है, उस स्थिति में समाहर्त्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त दर निर्धारण करने अथवा अनुशंसा करने के समय निबंधन विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु निर्धारित मूल्य से अधिक दर के सम्बंध में स्पष्ट कारण एवं औचित्य अंकित करेगें।

3. प्रतिकर अधिनिर्णीत की राशि का विभाजन :– ऐसे व्यक्तियों के बीच, जिनका हित अर्जित भूमि में निहित हो निर्णीत प्रतिकर की राशि के विभाजन को जिला समाहर्त्ता अनुमोदित कर सकेगा।

4. निरसन :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत आदेश अधिसूचना सं0 1234/रा0, दिनांक 15.09.04 एतद् द्वारा निरसित किया जाता हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बी0 बी0 श्रीवास्तव)
भूमि सुधार आयुक्त
–सह–
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 15/डी0 एल0 ए0 नीति–06/03–1292/रा0, दिनांक–05–06–07
प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित बिहार राजपत्र की 100(एक सौ) प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(बी0 बी0 श्रीवास्तव)
भूमि सुधार आयुक्त
–सह–
आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक 15/डी0 एल0 ए0 नीति–06/03–1292/रा0, दिनांक–05–06–07
प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/निदेशक, विशेष भू–अर्जन एवं पुर्नवास,जल संसाधन विभाग सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(बी0 बी0 श्रीवास्तव)
भूमि सुधार आयुक्त
–सह–
आयुक्त एवं सचिव